अध्यादेश का सारांश

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020

- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 को 2 अगस्त, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस बल के गठन और रेगुलेशन का प्रावधान करता है। यह बल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित लोगों और इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा के लिए गठित किया गया है।
- **बल का उद्देश्य:** अध्यादेश में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचित लोगों या इस्टैबिशमेंट्स की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन करेगी। इन स्टैबलिशमेंट्स में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) न्यायालय परिसर, (ii) प्रशासनिक कार्यालय, (iii) धार्मिक स्थल, (iv) मेट्रो रेल, (v) हवाई अड्डे, (vi) बैंक, और (vii) औद्योगिक उपक्रम, इत्यादि, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
- **आकार:** सुरक्षा बल में शुरुआत में पांच बटालियन होंगी और बाद में इसे राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाएगा। सामान्य तौर से एक बटालियन में लगभग 1,000 कर्मी होते हैं।
- **प्रशासन:** पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) इस बल का अधीक्षक होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार निम्नलिखित को पर्यवेक्षी अधिकारी नियुक्त कर सकती है: (i) अतिरिक्त महानिदेशक, (ii) महानिरीक्षक, (iii) उप महानिरीक्षक, (iv) कमांडेंट, और (v) उप कमांडेंट, इत्यादि। डीजीपी (राज्य सरकार द्वारा नियुक्त) उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रमुख है।
- इस बल का प्रशासन पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिले के पुलिस अधीक्षक, पर्यवेक्षी अधिकारी के सहयोग से अपने क्षेत्राधिकार में इस बल के कामकाज पर नजर रखेंगे।
- **बल में भर्तियां**: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड बल के अधीनस्थ अधिकारियों और सदस्यों की भर्ती करेगा। अधीनस्थ अधिकारी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर स्तर के कर्मचारी होते हैं। इस बल के सदस्यों को हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा और उन्हें राज्य में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।
- **निजी इस्टैबलिशमेंट्स में सेवा प्रदान करने के लिए बल की तैनाती:** अध्यादेश डीजीपी को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि वह अनुरोध करने पर निजी औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स की सुरक्षा के लिए इस बल को तैनात कर सकते हैं। निजी इस्टैबलिशमेंट को इस सेवा के लिए एक निर्धारित फीस चुकानी होगी। इस्टैबलिशमेंट ऐसे सार्वजनिक या निजी भवन या किसी संगठन के परिसर के रूप में परिभाषित है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सेवाएं प्रदान करता है: (i) शैक्षिक, (ii) कमर्शियल, (iii) मनोरंजक, (iv) परोपकारी, और (v) सांस्कृतिक। इसमें सार्वजनिक जमावड़े वाला स्थान या जन परिवहन प्रणाली शामिल हो सकती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
- **बल में वृद्धि:** अगर जरूरत होती है तो डीजीपी इस बल के साथ उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी का समन्वय कर सकता है और बल के कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकता है। कॉन्स्टेबुलरी ऐसा पुलिस बल है जिसे यूपी प्रादेशिक सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी एक्ट, 1948 के अंतर्गत गठित किया गया है।
- **वॉरंट के बिना गिरफ्तार करने और तलाशी लेने की शक्ति:** अध्यादेश प्रावधान करता है कि बल का कोई सदस्य मेजिस्ट्रेट के आदेश या वॉरंट के बिना कोई गिरफ्तारी कर सकता है और किसी व्यक्ति या उसके सामान की तलाशी ले सकता है। ऐसा निम्नलिखित अपराधों के संबंध में किया जा सकता है (इस्टैबलिशमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ): (i) जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, (ii) हमला

अनूप रामाकृष्णनन
anoop@prsindia.org

19 अगस्त, 2020

करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने की धमकी देना, और (iii) इस्टैबलिशमेंट से संबंधित संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति के शामिल होने का उचित संदेह होना, इत्यादि।

- गिरफ्तारी के बाद, सदस्य: (i) गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपेगा, या (ii) उसे निकटवर्ती पुलिस स्टेशन ले जाने की व्यवस्था करेगा, साथ ही गिरफ्तारी की स्थितियों से जुड़ी रिपोर्ट भी उसके साथ ले जाई जाएगी।

- **नियम बनाने की शक्ति:** अध्यादेश के प्रावधानों को कैसे लागू किया जाएगा, इससे संबंधित नियमों को राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है। ये नियम निम्नलिखित का प्रावधान करेंगे: (i) बल के सदस्यों के वेतन, रैंक और सेवा शर्तों का रेगुलेशन, (ii) सदस्यों को दिए जाने वाले हथियारों और दूसरे संसाधनों का विवरण और मात्रा, और (ii) निजी संगठनों की सुरक्षा के लिए चुकाई जाने वाली फीस की राशि और उसे किस तरीके से चुकाया जाएगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।